न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 120/2010 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री गिरवरसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत निवासी सरवडिया की खेड़ी तहसील रेलमगररा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जालमसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत निवासी सरवडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. मु. कंचन कुंवर पिता भूरसिंह जी राजपूत पत्नी दलपतसिंह राजपूत निवासी सरवडिया की खेड़ी, हाल निवासी गुन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. मु. उच्छल कूंवर पिता भूरसिंह जी पत्नी मानसिंह जी राजपूत निवासी सरवडिया की खेड़ी हाल निवास बालीवास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
4. पारस कुंवर पत्नी फतहसिंह जी पिता भूरसिंह जी राजपूत निवासी सरवडिया खेड़ी हाल निवासी कालीवास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती प्रकाश कुंवर पत्नी तेजसिंह जी पिता भूरसिंह जी राजपूत निवासी सरवडिया खेड़ी हाल निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा दिनांक 30–04–2010 प्रकरण
संख्या 329/2010 रेवेन्यू वाद

————/————

उपस्थित :–1– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

————/————

निर्णय **दिनांक 15–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विभाजन का एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–6–2009 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 तथा प्रतिवादी संख्या–1 अपीलान्ट प्रत्येक का 7/18 तथा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 प्रत्येक का 1/18 हिस्से से विभाजन करने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को कमिश्नर नियुक्त कर राजस्व मण्डल के नियम–18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये। उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–6–2009 की पालना में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा दिनांक 16–10–2009 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये, जिस पर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25–3–2010 को आपत्ति पेश की तथा निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये है। वादी को विभाजन में आराजी संख्या 55, 76, 74/1, 286, 289, 291 की सिंचित भूमियों व अधिक रकबा दे दिया गया है। भूमियों को टूकड़ों में बांट दिया गया है तथा नक्शे में भी रंग भरकर सुस्पष्टता नहीं बताई गई है।

उपरोक्त आपत्ति का जवाब वादी द्वारा देकर कहा गया कि तहसीलदार के काउण्टर साईन है तथा कब्जे के अनुसार सही विभाजन किया गया है। अपीलान्ट वकील अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस में भी पूर्व आपत्ति अनुसार ही आपत्ति प्रस्तुत की तथा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट तैयार नहीं किये जाने का भी लिखित बहस में उजर लिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–4–2010 को निर्णय पारित करते हुए आपत्तियां अस्वीकार कर दी तथा दिनांक 30–4–2010 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–6–2010 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी की और से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी

ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन योजना अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई, बल्कि तहसीलदार के काउण्टर साईन उक्त प्रकरण में थे, जिसे मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलान्ट को सिंचित भूमि का रकबा वादी रेस्पोन्डेन्ट की तुलना में कम दिया गया। भूमियां कॉम्पेक्ट भी नहीं रखी गई। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों पर भी कोई विवेचन नहीं किया गया तथा राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की भी पालना नहीं की गई।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकर कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि ''**माननीय राजस्व मण्डल के नवीनतम न्यायिक निर्देश R. R. T 2017(1) पेज 690 में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड) नियम, 1955–नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 53–विभाजन हेतु डिक्री–रेफरेन्स–भूमि के विभाजन के लिए प्रस्ताव का तहसीलदार द्वारा तैयार करना क्या आज्ञापक है अथवा वह शक्ति डेलीगेट कर सकता है–निर्णीत, नियम 18 से 21 आज्ञापक प्रकृति के है और तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण करना तथा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है**'' के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा विभाजन की प्रत्यायोजित शक्तियों का उप–प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। जिसका इस प्रकरण में स्पष्टतया उल्लंघन हुआ है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि विभाजन योजना तेयार करने से पूर्व सभी पक्षकारान को सूचना भी नहीं दी गई है। प्रकरण में

अपीलान्ट के रकबे की कमी–बेशी जो लगान से भी उप–दर्शित होती है तथा भूमियों के कॉम्पेक्ट होने बाबत भी आपत्तियों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूण्र है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2010 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं द्वारा सभी पक्षकारान को सूचित कर स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जाये तथा प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उक्त आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर